न्यूज अपडेट

माता-पिता व सास-ससुर की सेवा के लिए 15 दिनों की छुट्टी

पटना : राज्यकर्मियों को अब अपने माता-पिता व सास-ससुर की सेवा के लिए 15 दिनों की छुट्टी मिलेगी. इसके लिए मुख्यमंत्री की सहमति मिल चुकी है. वित्त विभाग शीघ्र ही अधिसूचना जारी कर देगा. समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव बीके वर्मा ने बुधवार को यह जानकारी दी. इसका लाभ सभी सरकारी सेवकों को मिलेगा. प्रत्येक दो वर्षों पर यह लाभ लिया जा सकता है. कर्मचारी को आवेदन में यह बताना होगा कि उनके माता-पिता या सास-ससुर लाचार या बीमार हैं. उन्हें सेवा की जरूरत है. इस प्रकार की छुट्टी के लिए कर्मचारियों के माता-पिता या सास-ससुर की उम्र का कोई बंधन नहीं है. सामान्य व आकस्मिक छुट्टी के अतिरिक्त यह छुट्टी होगी.